संख्या–968 / 9–आ–3–98–78 काम्प / 97

प्रेषक

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. नियन्त्रक प्राधिकारी / नियत प्राधिकारी
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 1998

विषय : उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–41(1) एवं उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 के अर्न्तगत सिनेमा भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 4082 / 37–3–87, दिनांक 10 नवम्बर, 1987 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि सिनेमा भवन को तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक काम्पलेक्स निर्मित किए जाने का प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से शासन में सन्दर्भित किया जाएगा। कालान्तर में सिनेमा व्यवसाय में हो रहे ह्रास को देखते हुए सिनेमा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए नये सिनेमा भवनों के लिए भूमि मूल्य का निर्धारण व पुराने निर्मित सिनेमा भवनों में खाली भूमि के व्यवसायिक भू–उपयोग के लिए नियमों में संशोधन तथा पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स के साथ सिनेमा भवन के निर्माण विषय पर विचार किया गया और विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी उक्त शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 1987 को कतिपय शर्तों के साथ शिथिल कर दिया जाए। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में जारी विषयगत शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 1987 को इस शर्त के साथ शिथिल किया जाता है कि पुराने सिनेमा भवनों को छोड़कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाए जाने अथवा सिनेमा भवन परिसर में व्यवसायिक निर्माण की अनुमति दिये जाने अथवा नये सिनेमा भवन के साथ–साथ व्यवसायिक मानचित्रों के आवेदन–पत्र पर जिलाधिकारी की अनापत्ति इस आशय से प्राप्त की जाए कि मनोरंजन कर अथवा शासन के किसी ऋण का बकाया आवेदनकर्ता पर नहीं है। यह अनापत्ति देते समय जिलाधिकारी यह भी संज्ञान में रखेंगें कि जिन छविगृहों को संस्थागत वित्त विभाग द्वारा मनोरंजन कर में छूट विषयक अनुदान योजना का लाभ दिया गया है उन छविगृहों पर सम्बन्धित अनुदान योजना के प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे। जिलाधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात महायोजना व अन्य उपविधियों / विनियमों / नियमों के आधार पर परीक्षण कर सम्बन्धित प्राधिकरण व विनियमित क्षेत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–968(1) / 9–आ–3–98 तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. वित्त, अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश।

5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एच. पी. सिंह
अनु सचिव